

फूलचन्द बन्नाम नगर पालिका नागौर

किस मुकदमा / निगरानी / नगर पालिका एक्ट / 73(2) / 204 / 2016  
 तारीख हुकम हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील  
 में जारी हुए।

03.08.2021 निगर. अभि. श्री राकेश अरोड़ा गैर निग. 3 श्री जी.एस. लखावत

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता स्वयं जरिये अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा व गैर निगरानीकर्ता अभिभाषक उपस्थित। निगरानीकर्ता का निगरानी विद्घो किये जाने के प्रार्थना पत्र मय फोटो व पहचान पत्र की प्रति सहित पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रकरण में बहस हेतु नियत है निगरानीकर्ता अभि. को अपील विद्घो प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विद्घो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उक्त निगरानी प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने लोगो के बहकावे में आकर प्रस्तुत कर दी। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को प्रकरण में वास्तविक सही जानकारी पता चली कि जिस आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिये प्रार्थी/निगरानीकर्ता उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्घो खारिज करवाना चाहता है। अतः उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने से इसी स्तर पर विद्घो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे।

अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता स्वयं ही अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं बताकर प्रस्तुत निगरानी को आगे नहीं चलाकर विद्घो खारिज करवाना चाहते है जिससे न्यायहित में विद्घो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता अभिभाषक का निगरानी विद्घो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्घो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. वीना प्रधान)  
 संभागीय आयुक्त,  
 अजमेर